राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 DLB/STP/ CMJKSY/(116)/17/ 1725 दिनांक : 31.05.2017

आदेश

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत् आयोजित किये जा रहे शिविरों में पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदनों पर आपत्ति आमंन्त्रित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के स्तर पर ध्यान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत् आयोजित किये जा रहे शिविरों में आवेदको से प्राप्त हो रहे विभिन्न आवेदनों यथा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन का पट्टा, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, नाम हस्तान्तरण आदि हेतु प्राप्त हो रहे आवेदनों के निस्तारण बाबत् विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से आपत्ति आमन्त्रित की जाती हैं, जिनमें 15 दिवस का समय दिया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के आवेदनों का निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता हैं।

अतः ऐसे आवेदनों के संबंध में आपत्ति आमन्त्रित किये जाने हेतु (यदि आवश्यक हो तो) समुचित प्रचार–प्रसार कराते हुऐ अधिकतम 7 दिवस का ही समय दिया जावें एवं 7 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवेदनों का आगामी शिविर में निस्तारण सुनिश्चित किया जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/ CMJKSY/(116)/17/ 1726to1735 दिनांक : 31.05.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि उक्त आदेश का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षैत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका (समस्त) को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि उक्त आदेश का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

31/05/2017

(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक

C\Users\PC\Desktop\Computer Data\New folder (3)\f\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx